सहायक कलेक्टर (मु.)
नागौर

डिगरी बमूकद्दमें इब्तदाई

वादीगण (ओ 21 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी) प्रतिवादीगण

अज अदालत सहायक कलेक्टर (मु.) नागौर मुकाम नागौर

व इजलाश बृजेन्द्र मीना R.A.S.

वादीगण
(1) रामीदेवी पत्नी स्व. हरीकिशन ब्राह्मण
(2) विजयलक्ष्मी उर्फ बेबी पुत्री स्व. हरिकिशन पत्नी श्री गोरीशंकर ब्राह्मण श्री बालाजी

बनाम
(1) गोकुलचन्द पुत्र खेताराम जाति ब्राह्मण कठासथला निवासी श्री बालाजी तह० जिला नागौर
॥ शिवरतन पुत्र गोकुलचन्द जाति ब्राह्मण कठासथला

दावा राजस्व वाद संख्या मुकद्दमा 36 सन् 2010 श्री बालाजी

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू .... P.T.O.

व हाजरी .... मिनजानिब मुद्दई व ....

.... मिनजानिब मुद्दायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि

वाद ग्रस्त खेताय ख०न० 534 रकबा 3 बीघा 9 बिस्वा ख०न० 543 रकबा 19 बीघा 8 बिस्वा वाके मौजा कथानाडा तथा ख०न० 594 रकबा 5 बीघा 16 बिस्वा, ख०न० 613 रकबा 9 बीघा 17 बिस्वा ख०न० 615 रकबा 14 बीघा 2 बिस्वा व ख०न० 620 रकबा 9 बीघा 7 बिस्वा वाके मौजा श्री बालाजी

लीज .... मुबलिक .... बाबत .... P.T.O.

खर्चा इस मुकद्द में मय सूद व शहर .... फीस सदी सालाना आज की

तारीख वसूलयाबी तक .... को अदा करें ।

बसीस्त तेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 25 माह 2 सन् 2019

दस्तखत [signature]

ओहदा सहायक कलेक्टर (मु.) नागौर

मुद्दई	रुपया	पैसा	मुद्दयला	रुपया	पैसा
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालत नामा		
स्टाम्प वकालत नामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह साबूत			मेहनताना वकील		
मेहनताना वकील			खर्चा गवाहन		
खर्चा गवाहन			फीस कमीशनर		
फीस कमीशनर			बाबत इजराय हुक्म नामा		
बाबत इजराय हुक्मीजान			मुतफरिक		
मुतफर्रिक			मिजान		

नोट :– इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा यह दो फरीकन को चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नहीं दर्ज करना चाहिए ।

(२)

हाल निवासी अन्तो की बाड़ी
के बाहर जोगमाया मन्दिर के
निकट बीकानेर तह० जिला बीकानेर

1/2 प्रह्लादराम पुत्र गोकलचन्द जाति ब्राह्मण
निवासी श्री बालाजी
1/3 दुर्गादेवी पुत्री गोकुलचन्द पत्नी मुरलीधर ब्राह्मण
निवासी ब्राह्मणों का मोहल्ला मिनासर तह० जिला बीकानेर
2. भगवानचन्द पुत्र खेताराम जाति ब्राह्मण निवासी कठाबू
निवासी श्री बालाजी तह० जिला नागौर
3. श्रीमती सरजू बेवा ऊंकारमल जाति ब्राह्मण श्री बालाजी
4. गायत्री पुत्री ऊंकारमल पत्नी आसकरण जोशी ब्राह्मण
निवासी रायसर तह० नोखा
5. सन्तोष पुत्र ऊंकारमल पत्नी शंकरलाल ब्राह्मण निवासी दुगोली
6. मुन्नी पुत्री ऊंकारमल पत्नी मेघराज उपाध्याय ब्राह्मण भीनासर
7. सरस्वती पत्नी स्व० राधाकिशन
8. घनश्याम पुत्र स्व० राधाकिशन
9. रामेश्वर पुत्र स्व० राधाकिशन जाति ब्राह्मण निवासीगण
10. प्रभा पुत्री स्व० राधाकिशन
श्री बालाजी
11. सरस्वती पुत्री स्व० खेताराम पत्नी मुकनाराम ब्राह्मण सालोलिया
12. शांति पुत्री स्व० खेताराम पत्नी चंदरलाल उपाध्याय ब्राह्मण
13. राज० सरकार जरिये तहसीलदार नागौर

प्रतिवादी संख्या 1/1 से 1/3
अ वादी विजयलक्ष्मी को सह खातेदार घोषित करते हुए
प्रतिवादी सं० 2 व प्रतिवादीगण संख्या 11 व 12 प्रत्येक को सह खातेदार घोषित करते हुए
प्रत्येक का 1/7 हिस्सा घोषित किया जाता है। व प्रतिवादीगण संख्या 3 से 6 को सह-
खातेदार घोषित करते संयुक्त रूप से उनका 1/7 हिस्सा घोषित किया जाता है। प्रतिवादीगण
संख्या 7 से 10 को सह खातेदार घोषित करते हुए संयुक्त रूप से उनका 1/7 हिस्सा घोषित किया जाता है।
राधाकिशन पुत्र जंवरीलाल का नाम राजस्व अभिलेखों से हटाया जावे, वादी विजयलक्ष्मी, प्रतिवादीगण संख्या
1/1 से 1/3, 2, 11, व 12, तथा प्रतिवादीगण सं० 3 से 6 व प्रतिवादीगण सं० 7 से 10 प्रत्येक का 1/7-1/7
हिस्सा राजस्व अभिलेखों में दर्ज किया जावे और तदनुसार बटवारा किया जाकर राजस्व अभिलेख
दुरस्त किया जाकर राजस्व अभिलेखों में तरमीम की जावे, वादी विजयलक्ष्मी के कब्जे कास्त
खातेदारी में दखल अन्दाजी करने से प्रतिवादीगण को सदैव के लिये रोका जाता है।
एवं वे न तो स्वयं करे न अन्य से करावें।

[signature]
सहायक कलक्टर (मु.)
बीकानेर

न्यायालय सहायक कलक्टर(मुख्यालय) नागौर
बईजलास बृजेन्द्र मीना–आर.ए.एस.

राजस्व वाद सं. 36/2010
आर.सी.एम.एस. नं. 2010/00011
वादीगण–

1. रामीदेवी पत्नी स्व. हरीकिशन(फौत नाम हटाया गया)
2. विजयलक्ष्मी उर्फ बेबी पुत्री स्व. हरीकिशन पत्नी श्री गौरीशंकर जातियान ब्राह्मण निवासीगण–श्रीबालाजी हाल निवासी उस्तो की बारी के बाहर, जोग माया मन्दिर के निकट, बीकानेर, तहसील व जिला बीकानेर, राज0

बनाम

प्रतिवादीगण

1. गौकुलचन्द पुत्र खेताराम जाति ब्राह्मण कठासथला, निवासी श्रीबालाजी तहसील व जिला नागौर, राज0 के विधिक प्रतिनिधिगण–
1/1. शिवरतन पुत्र गोकुलचन्द जाति ब्राह्मण कठासथला निवासी श्रीबालाजी
1/2. प्रहलादराम पुत्र गोकुलचन्द जाति ब्राह्मण कठासथला निवासी श्रीबालाजी
1/3. दुर्गादेवी पुत्री गोकुलचन्द पत्नी मुरलीधर जाति ब्राह्मण निवासी ब्राह्मणो का मौहल्ला भिनासर, तहसील व जिला बीकानेर, राज0
2. भगवानचन्द पुत्र श्री खेताराम जाति ब्राह्मण कठासथला, निवासी श्रीबालाजी तहसील व जिला नागौर हाल निवासी बदरी भैरू मन्दिर के पास चौपड़ा बाड़ी, गंगाशहर बीकानेर, राज0
3. श्रीमति सरजू बेवा ऊंकारमल जाति ब्राह्मण कठासथला निवासी श्रीबालाजी तहसील व जिला नागौर, राज0
4. गायत्री पुत्री ऊंकारमल पत्नी श्री आसकरण जी जोशी जाति ब्राह्मण निवासी रायसर तहसील नोखा जिला बीकानेर, राज0
5. संतोष पुत्री ऊंकारमल पत्नी शंकरलाल जाति ब्राह्मण निवासी दुगोली तहसील जायल जिला नागौर, राज0
6. मुन्नी पुत्री ऊंकारमल पत्नी मेघराज उपाध्याय जाति ब्राह्मण निवासी ब्रह्मणो का मौहल्ला भीनासर, बीकानेर तहसील व जिला बीकानेर
7. सरस्वती पत्नी स्व. राधाकिशन
8. घनश्याम पुत्र स्व. राधाकिशन
9. रामेश्वर पुत्र स्व. राधाकिशन
10. प्रभा पुत्री स्व. राधाकिशन
जाति ब्राह्मण निवासीगण श्रीबालाजी तहसील व जिला नागौर
11. सरस्वती पुत्री स्व. खेताराम पत्नी मुकनाराम जाति ब्राह्मण सालोलिया निवासी भंसाली भवन के पिछे, गंगाशहर, बीकानेर राज0
12. शांती पुत्री स्व. खेताराम पत्नी भंवरलाल उपाध्याय जाति ब्राह्मण निवासी भीनाशहर बीकानेर राज0
13. राज0 सरकार जरिये तहसीलदार, नागौर।

सहायक कलक्टर (मु.)
नागौर

वाद अधीन धारा 53,88,188 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट

उपस्थित—1.श्री विक्रम जोशी अधिवक्ता वास्ते वादी।
2.श्री शिवचंद पारीक अधिवक्ता वास्ते प्रतिवादी सं. 1/1 शिवरतन
3.प्रतिवादी सं. 1/2 से 13 सभी के विरूद्व एकतरफा कार्यवाही।

—निर्णय—

दिनांक 25.02.2019

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण ने वर्तमान वाद प्रस्तुत कर यह कथन किया कि पक्षकारान ग्रम श्रीबालाजी तहसील व जिला नागौर के निवासीगण है और अपने अपने कारोबार के सिलसिले में पृथक—पृथक स्थानो पर रहते है। पक्षकारान एक ही परिवार के सदस्य है जिनका सजरा खानदान वाद में दर्शाया गया है।

आगे यह कथन किया कि पक्षकारान के पुश्तैनी सहखातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि खसरा नम्बर 534 रकबा 3 बीगा 9 बिस्वा, खसरा नम्बर 543 रकबा 19 बीगा 8 बिस्वा कुल रकबा 22 बीगा 17 सरहद मौजा नथानाडा व खसरा नम्बर खसरा नम्बर 594 रकबा 5 बीगा 16 बिस्वा, खसरा नम्बर 613 रकबा 9 बीगा 17 बिस्वा, खसरा नम्बर 615 रकबा 14 बीगा 2 बिस्वा, खसरा नम्बर 620 रकबा 9 बीगा 7 बिस्वा कुल रकबा 39 बीगा 2 बिस्वा सरहद मौजा श्रीबालाजी पक्षकारान के अविभाजित रहते चले आये है। पक्षकारान की वाद के अनुच्छेद संख्या 2 में वर्णित अविभाजित भूमि में प्रतिवादीगण संख्या 1, 2, 11 व 12 का प्रत्येक का 1/7 हिस्सा, प्रतिवादीगण संख्या 3 से 6 का संयुक्त रूप से 1/7 हिस्सा व प्रतिवादीगण संख्या 7,8,9,10 का संयुक्त रूप से 1/7 हिस्सा है। इसी प्रकार वादीगण का भी संयुक्त रूप से उपरोक्त भूमि में 1/7 हिस्सा रहता चला आया है। पक्षकारान आपसी सुविधा अनुसार अपने अपने हिस्से की भूमि पर काश्त करते और करवाते चले आये है। वंशावली में वर्णित जंवरीलाल लाऔलाद फौत हो गया था, जिसने कभी भी किसी को गौद नही लिया था, लेकिन राधाकिशन पुत्र खेताराम ने पक्षकारान की जानकारी के बिना वादग्रस्त खेताय खसरा नम्बर 534 रकबा 3 बीगा 9 बिस्वा व खसरा नम्बर 543 रकबा 19 बीगा 8 बिस्वा वाके मौजा नथानाडा में अपने आप को जंवरीलाल का पुत्र बताते हुऐ अपना नाम दर्ज करवा लिया ताकि उपरोक्त पुश्तैनी भूमि में 1/2 हिस्सा बताकर उपरोक्त भूमि हड़प कर सके। वस्तुतः राधाकिशन पुत्र जंवरीलाल नाम और वल्दियत का कोई भी व्यक्ति नही है, राधाकिशन पुत्र खेताराम ने अपने आप को गलत रूप से जंवरीलाल का पुत्र बताते हुऐ अपना नाम दर्ज करवा दिया। क्योकि खेताराम के पुत्रो में ऊंकारमल तथा हरीकिशन के कोई जाईन्दा पुत्र नही था न है इस स्थिति का नाजायज फायदा उठाते हुऐ और वादग्रस्त भूमि में अधिक हिस्सा प्राप्त करने के दुराशय से राधाकिशन ने अपने आप को जंवरीलाल का पुत्र बताकर तथाकथित नामान्तरकरण अपने नाम करवा लिये, जिससे उसको या उसके वारीसान को कोई हक अधिकार प्राप्त नही होते है। इसलिए मुतदाविया भूमि का रेकर्ड दुरूस्ती हेतू भी यह वाद पेश किया जा रहा है। उपरोक्त मुतदाविया भूमि में खेत खसरा नम्बर 594, 613, 615 व 620 सरहद मौजा

श्रीबालाजी में गोकुलचन्द, राधाकिशन, भगवानचन्द पुत्रगण खेताराम, सरजु बेवा ऊँकारमल, रामी बेवा हरिकिशन बतौर खातेदार दर्ज है जिसमें राधाकिशन के स्थान पर प्रतिवादीगण संख्या 7 से 10 का नामान्तरकरण दर्ज कर दिया गया है इसी प्रकार खसरा नम्बर 534 व 543 सरहद मौजा नथानाडा की जमाबंदी में गोकुलचंद, राधाकिशन, भगवानचन्द पुत्रगण खेताराम, सरजु बेवा ऊँकारमल, रामी बेवा हरिकिशन का 1/2 हिस्सा में राधाकिशन के स्थान पर प्रतिवादी संख्या 7 से 10 का नामान्तरकरण कर दिया गया है। राधाकिशन पुत्र जंवरीलाल के नाम से 1/2 भूमि उक्त खेताय खसरा नम्बर 534 व 543 वाके मौजा नथानाडा दर्ज की गयी है। वस्तुतः राधाकिशन पुत्र जंवरीलाल नाम का कोई व्यक्ति नही है। विधि का यह सुस्थापित सिद्वांत है कि म्युटैशन एक फिसकल प्रौसीडिंग है जिससे किसी व्यक्ति को कोई हक अधिकार प्राप्त नही होते है न ही किसी के हक अधिकार समाप्त ही होते हे। क्योकि कृषि भूमि के संबंध में मालिकाना हक राज्य सरकार को प्राप्त है और कृषि भूमि संबंधी हक अधिकार हैरीटेबल और ट्रॉसफरेबल अधिकार है इसलिए उक्त भूमि वाके नथानाडा में राधाकिशन पुत्र जंवरीलाल के नाम से म्युटैशन होने से कोई अधिकार राधाकिशन या उनके वारीसान को प्राप्त नही होता है। वस्तुत राधाकिशन पुत्र जंवरीलाल और राधाकिशन पुत्र खेताराम एक ही व्यक्ति है। राधाकिशन पुत्र जंवरीलाल नाम व वलदीयत का कोई व्यक्ति नही है। इसलिए उपरोक्त खेताय खसरा नम्बर 534 व 543 सरहद मौजा नथानाडा भी पक्षकारान की संयुक्त कब्जे काश्त की अविभक्त भूमि रहती चली आई है। पक्षकारान पीढियो से सुविधानुसार काश्त करते आ रहे है और अब परिवार और अधिक बड़ा हो जाने से संयुक्त रूप से काश्त की जाना संभव नही है इसलिए पक्षकारान अपनी उपरोक्त संयुक्त भूमि को बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के बंटवाड़ा करके खाता अलग–अलग करवाना चाहते है।

वादग्रस्त खेताय सरहद मौजा श्रीबालाजी और नथानाडा में प्रतिवादीगण संख्या 11 व 12 जो खेताराम की पुत्रीया है के नाम दर्ज नही किये गये है जबकि हस्ब कानून उनके भी उक्त खेताय पुश्तेनी होने से तथा खेताराम जी की पुत्रीया होने से उनका भी हक हिस्सा निहित रहता चला आया होने से नाम दर्ज होना चाहिए। म्यूटैशन में उनका नाम नही होने से उनके हक अधिकारो पर कोई प्रभाव नही पड़ता है क्योकि म्यूटैशन एक फिसकल प्रौसीडिंग है। ऐसी दशा में तथाकथित भूमि के संबंध में भरे गये म्यूटैशन गलत है। इसलिए वादग्रस्त खसरा नम्बर 534 तथा 543 मौजा नथानाडा में राधाकिशन पुत्र जंवरीलाल का नाम हटाया जाकर रेकर्ड दुरूस्त की जाना उचित व न्याय संगत है जिस हेतु भी यह वाद पेश है। आगे यह कथन किया कि वादहेतु पक्षकारान की उपरोक्त सम्पति संयुक्त होने और सुविधानुसार अलग–अलग कब्जा काश्त होने, म्यूटैशन सभी पक्षकारो के नाम से नही किये जाने से, राजस्व रेकर्ड में गलत इन्द्राजी होने और अब बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के बंटवाड़ा करवाना आवश्यक होने से समय समय पर सरहद मौजा श्रीबालाजी व नथानाडा तहसील नागौर में पैदा होना कथन किया। यह भी कथन किया कि वादग्रस्त खेताय सरहद मौजा श्रीबालाजी व नथानाडा तहसील नागौर में स्थित होने से न्यायालय हाजा को वाद हाजा की सुनवाई का क्षैत्राधिकार व श्रवणाधिकार प्राप्त होना कथन किया।

उपरोक्त अभिवचनो के साथ वादीगण की ओर से वादग्रस्त भूमि का बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स बंटवाड़ा करवाने और पृथक पृथक खातेदारी दर्ज

करवा कर राजस्व अभिलेखो को दुरूस्त करवाने व अन्य अनुसंगिक अनुतोषो के लिए डिक्री किये जाने की प्रार्थना की गई।

वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये गये।

प्रकरण में प्रतिवादीगण संख्या 2,4,5,11,12 व 13 को नोटिस रजिस्टर्ड ए.डी. से भिजवाये गये जिनकी ए.डी. प्राप्त हुई और प्रतिवादीगण संख्या 6 के रजिस्ट्री लिफ़ाफा पर लेने से इन्कारी की रिपोर्ट के साथ प्राप्त हुऐ।

वादी की ओर से दिनांक 26.7.2010 को प्रतिवादीगण संख्या 1,3,7,8,9 व 10 के विरूद्व पर्याप्त तामिल मानकर एकतरफा कार्यवाही किये जाने का आवेदन पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया। दिनांक 28.10.2014 को वकील वादी ने एक आवेदन अधीन आदेश 22 नियम 3 व 4 सी.पी.सी. का पेश किया जिस पर सुना जाकर कथित आवेदन स्वीकार किया जाकर वादी रामीदेवी की एक मात्र विधिक उतराधिकारी विजयलक्ष्मी उर्फ बेबी वाद में बतौर वादी पक्षकार होने से वादी सं. 1 रामीदेवी का नाम कलमजन किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 की मृत्यु के संबंध में प्रतिवादी सं. 1/1 से 1/3 के रूप में रिकॉर्ड पर लिये गये और वकील वादी द्वारा प्रस्तुत संशोधित शीर्षक शामिल पत्रावली किया गया। दिनांक 18.5.2015 को इस प्रकरण की पत्रावली राजस्व लोक अदालत केम्प श्रीबालाजी में प्रस्तुत हुई जिसमें प्रतिवादी संख्या 3 सरजूदेवी उपस्थित हुई लेकिन प्रकरण का निस्तारण लोक अदालत में नहीं किया जा सका।

दिनांक 18 सितम्बर 2015 को वकील वादी ने आवेदन प्रस्तुत कर प्रतिवादीगण संख्या 1/2, 1/3, 2,4,7 से 10 की तामिल जरिये समाचार पत्र करवाये जाने का निवेदन किया। जिस पर सुना गया और प्रतिवादीगण की तामिल जरिये अखबार करवाये जाने हेतु नोटिस उपलब्ध करवाये गये।

कथित प्रतिवादीगण के नोटिस दैनिक नवज्योति अखबार में दिनांक 15.10.2015 को साया किये गये जो अखबार शामिल पत्रावली किया गया। प्रतिवादी संख्या 1/2, 8 व 9 की तामिल के सम्बन्ध में अवलोकन करने पर पाया कि कथित प्रतिवादीगण के सम्मन अखबार में प्रकाशित नहीं हुऐ है जिन्हे प्रकाशित करवाये जाने हेतु वादी को नोटिस दिये गये। प्रतिवादीगण संख्या 1/3, 2,4,7 व 10 के सम्मन अखबार में साया होने के बावजूद उनकी ओर से न तो वे स्वयं उपस्थित हुऐ न अधिवक्ता उपस्थित हुऐ जिस पर दिनांक 3.11.2015 को प्रतिवादीगण संख्या 1/3, 2,4,7 व 10 के विरूद्व एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। दिनांक 22.01.2016 को प्रतिवादी संख्या 1/1 की ओर से श्री शिवचंद पारीक एडवोकेट ने वकालतनामा एवं प्रतिवादी संख्या 1/1 का जवाबदावा प्रस्तुत किया जो शामिल पत्रावली किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 1/2, 8 व 9 के सम्मन दैनिक नवज्योति अखबार में दिनांक 21.01.2016 को प्रकाशित हुऐ जिसकी प्रति वकील वादी द्वारा प्रस्तुत की गई जिन्हे बार बार आवाजे लगवाई परन्तु कथित प्रतिवादीगण की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ। प्रतिवादीगण संख्या 1/2, 8 व 9 के विरूद्व दिनांक 22.01.2016 को एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गयी। प्रतिवादी प्रहलादराम की ओर से अधिवक्ता श्री नरेन्द्र सारस्वत ने वकालतनामा प्रस्तुत किया था जिन्जे जवाबदावा प्रस्तुत करने हेतु अवसर प्रदान किया गया। प्रतिवादी प्रहलादराम की ओर से कोई जवाबदावा अनेको अवसर दिये जाने के बावजूद भी प्रस्तुत नहीं हुआ। दिनांक 18.1.2018 को

प्रतिवादी **प्रहलादराम** की ओर से अधिवक्ता श्री नरेन्द्र सारस्वत ने हिदायत पैरवी नहीं होना जाहिर किया।

प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 1/1 द्वारा स्वीकारोक्ति का जवाबदावा प्रस्तुत किया गया है। वाद पत्र और स्वीकृत जवाबदावा की स्थिति के कारण प्रकरण में तनकियात बनना नहीं पाया गया और प्रकरण साक्ष्य वादी हेतु नियत किया गया। दिनांक 9.10.2018 को वादी की ओर से वादी विजयलक्ष्मी का बतौर साक्ष्य आदेश 18 नियम 4 सी.पी.सी. के तहत शपथ पत्र पेश हुआ। प्रकरण में दिनांक 22.01.2019 को वादी विजयलक्ष्मी के बयान पूर्ण हुऐ, दस्तावेजी साक्ष्य में वादी की ओर से जमाबंदी प्रदर्श 1 व प्रदर्श 2 प्रदर्शित किया गया, वादी साक्ष्य बंद कर प्रकरण बहस अंतिम हेतु नियत किया गया।

विद्वान अधिवक्ता वादी ने वाद पत्र में उल्लेखित तथ्यो को दोहराते हुऐ यह कथन किया कि वादी के वाद का किसी प्रतिवादीगण ने खण्डन नहीं किया है वादी की मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य का कोई खण्डन नहीं हुआ है। विद्वान अधिवक्ता वादी ने डी.एन.जे. 2000–01 राज0 (सप्लीमेंट)पृष्ठ 245 का न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वर्तमान मामले में वादी के वाद का कोई खण्ड नहीं किया और प्रतिवादी ने मामले का प्रतिरोध नहीं किया है तो प्रकरण में डिक्री जारी की जावे। प्रतिवादी संख्या 1/1 की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने दावे को डिक्री किये जाने में कोई आपति नहीं होना जाहिर किया। हमने पत्रावली का गहनापूर्वक अध्ययन किया। वादी के वाद पत्र का किसी भी प्रतिवादीगण ने कोई खण्डन नहीं किया है। वादी की मौखिक साक्ष्य व दस्तावेजी साक्ष्य प्रदर्श 1 व प्रदर्श 2 का कोई खण्डन नहीं हुआ है। वादी की ओर से प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत वर्तमान वाद पर हूबहू चस्पा होते है। वादी के बयानो और वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य में जमाबंदी प्रदर्श 1 जो ग्राम श्रीबालाजी के खेताय खसरा नं. 594, 613, 615 एवं 620 के सम्बन्ध में तैयार की गई है, में खातेदार के रूप में गोकुलचंद, राधाकिशन, भगवानचंद पिसरान खेताराम, सरजू बेवा ऊंकारमल, रामीदेवी बेवा हरीकिशन दर्ज है इसी जमाबंदी में राधाकिशन के स्थान पर खातेदारी घनश्याम, रामेश्वरलाल पिसरान राधाकिशन, प्रभा पुत्री राधाकिशन, सरस्वती पत्नी राधाकिशन के नाम दर्ज की गई है जो प्रदर्श 1 के द्वारा प्रकट है। इसी प्रकार वादी की ओर से प्रस्तुत जमाबंदी प्रदर्श 2 के अनुसार नथानाडा के खेताय खसरा नं. 534 व 543 राधाकिशन पुत्र जंवरीलाल 1/2 तथा गोकुलचंद, राधाकिशन, भगवानचंद पिसरान खेताराम, मु. सरजू बेवा उंकारमल, रामीदेवी बेवा हरीकिशन 1/2 दर्ज है इसी जमाबंदी में मृतक राधाकिशन पुत्र खेताराम के स्थान पर खातेदारी घनश्याम रामेश्वरलाल पिसरान राधाकिशन, प्रभा पुत्री राधाकिशन, सरस्वती पत्नी राधाकिशन के नाम दर्ज हुई है। विद्वान अधिवक्ता वादी ने बहस के दौरान तर्क दिया कि राधाकिशन ने गांव नथानाडा की आराजी में अधिवक्ता हिस्सा प्राप्त करने के दुराशय से अपने आप को जंवरीलाल का पुत्र बताकर 1/2 आराजी अपने नाम दर्ज करवा ली जबकि श्रीबालाजी के खेताय में वह अपने आप को खेताराम का पुत्र बता रहा है इसी प्रकार से नथानाडा के खेताय में भी राधाकिशन अपने आप को खेताराम का पुत्र बता रहा है। वस्तुतः राधाकिशन पुत्र जंवरीलाल नाम का कोई आदमी वादीगण व प्रतिवादीगण के परिवार में नहीं रहा है राधाकिशन ने लालचवश अधिक भूमि प्राप्त करने के उद्वेश्य से नथानाडा के खेताय में अपना 1/2 हिस्सा दर्ज करवा लिया। राधाकिशन पुत्र जंवरीलाल व राधाकिशन पुत्र खेताराम एक ही

व्यक्ति है राधाकिशन पुत्र जंवरीलाल नाम व वल्दियत का कोई व्यक्ति वादीगण व प्रतिवादीगण के कुटुम्ब में नहीं रहा है। पक्षकारान सुविधा अनुसार काश्त करते रहे है परिवार बडे हो जाने से उनके खाते अलग अलग करवाने व राजस्व अभिलेखो में नाम दर्ज करवा कर तरमीम करवाने का भी निवेदन किया गया। सम्पूर्ण वाद पत्र, वादी के बयान, दस्तावेजी साक्ष्य से यह प्रकट है कि राधाकिशन पुत्र जंवरीलाल नाम और वल्दियत का व्यक्ति कभी नहीं रहा है किसी भी प्रतिवादी ने वादी के वाद का कोई खण्डन नहीं किया है। ऐसी स्थिति में मुतदाविया भूमि के संबंध में जो भी म्यूटैशन हुऐ है वह एक फिस्कल प्रौस्डिंग है व वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र के अनुसार वादग्रस्त खेताय का राजस्व अभिलेख दुरूस्त करना व पक्षकारान के मध्य बंटवाड़ा किया जाना न्याय संगत प्रतित होता है।

आदेश

फलतः वादी द्वारा प्रस्तुत वाद स्वीकार किया जाकर निम्न प्रकार से डिक्री किया जाता है–

वादग्रस्त खेताय खसरा नम्बर 534 रकबा 3 बीगा 9 बिस्वा, खसरा नम्बर 543 रकबा 19 बीगा 8 बिस्वा वाके मौजा नथानाडा तथा खसरा नम्बर 594 रकबा 5 बीगा 16 बिस्वा, खसरा नम्बर 613 रकबा 9 बीगा 17 बिस्वा खसरा नम्बर 615 रकबा 14 बीगा 2 बिस्वा व खसरा नम्बर 620 रकबा 9 बीगा 7 बिस्वा वाके मौजा श्रीबालाजी में वादी विजयलक्ष्मी को सहखातेदार घौषित करते हुऐ प्रतिवादी संख्या 1/1 से 1/3, प्रतिवादी संख्या 2 व प्रतिवादीगण संख्या 11 व 12 प्रत्येक को सहखातेदार घौषित करते हुऐ प्रत्येक का 1/7 हिस्सा घौषित किया जाता है एवं प्रतिवादीगण संख्या 3 से 6 को सहखातेदार घौषित करते हुऐ संयुक्त रूप से उनका 1/7 हिस्सा घौषित किया जाता है। प्रतिवादीगण संख्या 7 से 10 को सहखातेदार घौषित करते हुऐ संयुक्त रूप से उनका 1/7 हिस्सा घौषित किया जाता हैं। राधाकिशन पुत्र जंवरीलाल का नाम राजस्व अभिलेखो से हटाया जावे। वादी विजयलक्ष्मी, प्रतिवादीगण संख्या 1/1 से 1/3, 2,11 व 12 तथा प्रतिवादीगण संख्या 3 से 6 व प्रतिवादीगण संख्या 7 से 10 प्रत्येक का 1/7–1/7 हिस्सा राजस्व अभिलेखो में दर्ज किया जावे और तद्नुसार बंटवाड़ा किया जाकर राजस्व अभिलेख दुरूस्त किया जाकर राजस्व अभिलेखो में तरमीम की जावे। वादी विजयलक्ष्मी के कब्जे काश्त खातेदारी में दखल अन्दाजी करने से प्रतिवादीगण को सदैव के लिए रोका जाता है ऐसा वे न तो स्वयं करे न अन्य से करावे। प्रकरण के तथ्यो व परिस्थितियो अनुसार खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करे। माफिक निर्णय डिक्री पर्चा जारी हो। तहसीलदार नागौर को माफिक निर्णय व डिक्री आवश्यक इन्द्राजात हेतु तहरीर जारी हो।

निर्णय व आदेश आज दिनांक 25.02.2019 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

बृजेन्द्र मीना
आर.ए.एस.
सहायक कलक्टर(मुख्यालय) नागौर